राजस्व वाद स. 58/2022
सुधा देवी बनाम पूनम देवी आदि
निर्णय दिनांक 17.08.2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 58/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/156

सुधा देवी पत्नि अक्षय कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

..........वादीया

– ब ना म –

1. पूनम देवी पुत्री गिरधारी
2. बाला देवी पुत्री गिरधारी
3. मदनलाल पुत्र गिरधारी
4. रोशनलाल पुत्र गिरधारी
5. घमनलाल पुत्र मंगलराम

} समस्त जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

6. छोटेलाल पुत्र झूथाराम
7. जमना पुत्र सुगराराम
8. जिलेसिंह पुत्र मंगलाराम
9. बनवारी पुत्र सुगराराम
10. विमला देवी पुत्री मंगलाराम
11. मंगली देवी पत्नि मंगलाराम

} समस्त जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

12. लीलाराम पुत्र दलीपसिंह जाति अहीर निवासी बलाहा कंला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
13. शारदा देवी पुत्री मंगलाराम
14. सन्तोषदेवी पुत्री मंगलाराम
15. सुरजाराम पुत्र सुगराराम
16. सावित्री पुत्री मंगलाराम
17. हंसराज वर्मा पुत्र मंगलाराम

} समस्त जाति कुम्हार निवासी डूमोली खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

दावा – खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि.

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित होने के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में आई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

... निर्णय ...

दिनांक – ....

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 58/2022
सुधा देवी बनाम पूनम देवी आदि
निर्णय दिनांक 17.08.2023

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद पत्र – खाता विभाजन इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं किः–

1. यह कि वाके ग्राम डूमोली खुर्द उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 2009/858 रकबा 0.31 है. ख.न. 2013/858 रकबा 0.22 है. किता 2 कुल रकबा 0.53 है. में वादीया का 31/53 हिस्सा है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 11/106 – 11/106 हिस्सा है तथा ग्राम डूमोली खुर्द स्थित भूमि ख.न. 1997/857 रकबा 0.16 है. ख.न. 863 रकबा 0.46 है. किता 2 रकबा 0.62 है. में वादीया का 13/61 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 5 का 29/1952 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का 29/244 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 का 29/1952 हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 का 29/1952 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 का 29/1952 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 3/61 हिस्सा प्रतिवादी सं. 13 का 29/1952 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 का 29/1952 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 16 का 29/1952 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 का 29/1952 हिस्सा है।
2. यह कि वादीया का कब्जा सिंघाना से नारनौल सड़क से सटकर है वादीया अपने सम्पूर्ण रकबा पर एक साथ काबिज है मौके पर सीमाऐ बनाकर पीलर तार आदि लगाकर शान्तिपूर्वक काबिज है लेकिन वादीया का खाता संयुक्त रहने से वादीया को अपने हिस्सा की भूमि की सीमाऐ कायम रखने एंव इसका अन्यत्र उपयोग हेतू रूपान्तरकरण करवाने में भारी परेशानी है इस भूमि के संयुक्त खातेदार अलग जगह रहते है सभी एकत्रित नही होते है इसलिये वादीया के लिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित करवाया जाना आवश्यक हुआ है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि किता 2 रकबा 0.53 है. में वादीया का 31/53 हिस्सा होने तथा किता 2 रकबा 0.62 है. में वादीया का 13/61 हिस्सा होने एवं उसका खाता संयुक्त रहने से वादीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।
4. यह कि दावा के लिये आधार विवाद भूमि वाके ग्राम डूमोली खुर्द में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिये यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
5. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 17 सयुक्त खातेदार होने प्रतिवादी सं. 18 लैण्ड होल्ड होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
6. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा एक रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।
7. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।
8. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम डूमोली खुर्द उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2009/858 रकबा 0.31 है. ख.न. 2013/858 [illegible] है. किता 2 कुल रकबा 0.53 है. में वादीया का 31/53 हिस्सा तथा [illegible] डूमोली खुर्द स्थित भूमि ख.न. 1997/857 रकबा 0.16 है. ख.न. 863 रकबा 0.46 है. [illegible] 2 रकबा 0.62 है. में वादीया का 13/61 हिस्सा का खाता विभाजित कर वादीया [illegible] 0.44 है रकबा जो सड़क से सटकर है वही वादीया को [illegible] विभाजन में दिये जाने की कृपा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करे। एवं लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

(ख). कि वादीया का दावा विरूद प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीया वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.12.2023 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 06.06.2023 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम डूमोली खुर्द उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2009/858 रकबा 0.31 है. ख.न. 2013/858 रकबा 0.22 है. किता 2 कुल रकबा 0.53 है. तथा ख.न. 1997/857 रकबा 0.16 है. ख.न. 863 रकबा 0.46 है. किता 2 रकबा 0.62 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **17-08-2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 58/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/156

सुधा देवी **बनाम** पूनम देवी आदि

<u>दावा खाता विभाजन</u>

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री अशोक यादव की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.08.2023 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम डूमोली खुर्द उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2009/858 रकबा 0.31 है. ख.न. 2013/858 रकबा 0.22 है. किता 2 कुल रकबा 0.53 है. तथा ख.न. 1997/857 रकबा 0.16 है. ख.न. 863 रकबा 0.46 है. किता 2 रकबा 0.62 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर) बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested